

रेगिंग दण्डनीय अपराध है

रेगिंग के अन्तर्गत आने वाले कृत्य :-

1. वरिष्ठ छात्रों को सर कहलवाना।
2. सामुहिक कवायद करवाना।
3. वरिष्ठ छात्रों हेतु कक्षा के नोट्स बनवाना।
4. अश्लील प्रश्न पूछना।
5. शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाना।
6. बलपूर्वक कुछ खिलाना या पिलाना।
7. छात्र से क्रूरता बरतना जिससे उसकी मृत्यु हो जाये।
8. ऐसे अश्लील कार्य जिससे छात्र का भोलापन नष्ट हो जाये।
9. बलपूर्वक मूर्खतापूर्ण कार्य करवाना।